सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

पीएमईजीपी अनुभाग

मौजूदा सफल पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरी वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश

1. स्कीम:

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), वर्तमान में राष्ट्रीय-स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्य स्तर पर, यह स्कीम राज्य केवीआईसी निदेशकों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 4,66,471 इकाइयां स्थापित की गई है। स्कीम की सफलता को ध्यान में रखते हुए और जैसा उद्यमियों/इकाई धारकों द्वारा अनुरोध किया गया था तथा जिस प्रकार प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव ने अपनी मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिश की थी, सरकार ने 5,500 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे पीएमईजीपी को जारी रखने के लिए अनुमोदित किया है। ऐसा अनुमोदन देते समय, मौजूदा इकाइयां जो कारोबार, लाभ कमाने और ऋण के भुगतान मे मामले में अच्छा कार्य-निष्पादन कर रहीं हैं के उन्नयन के लिए सब्सिडी के साथ दूसरा ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया गया है। तदनुसार, 15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) की सब्सिडी के साथ विनिर्माण इकाइयों के लिए 1 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और सेवा/व्यापार इकाइयों के लिए 25.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2. उद्देश्य:

I. सफल/अच्छा कार्य-निष्पादन करने वाली इकाइयों के उन्नयन और विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता को पूरा करना।

II. नई प्रौद्योगिकी/स्वचालन लाने के लिए उद्यमियों की आवश्यकता को पूरा करना ताकि मौजूदा इकाई का आधुनिकीकरण किया जा सके।

III. निधि की अतिरिक्त किस्त मिलाकर मौजूदा इकाइयों की उत्पादकता को बढ़ाना।
IV. अतिरिक्त वेतन रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ मौजूदा इकाई की क्षमता को बढ़ाना।

3. वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति:

मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण:

लाभार्थियों की श्रेणियाँ	लाभार्थी का अंशदान	सब्सिडी दर (परियोजना लागत की)
सभी श्रेणियाँ	10% (प्रस्तावित विस्तार/उन्नयन लागत का)	15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%)

क) उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 1.00 करोड़ रु. है, और अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रु. (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रु.) होगी।

ख) उन्नयन के लिए सेवा/व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रु. है, और अधिकतम सब्सिडी 3.75 लाख रु. (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 5 लाख रु.) होगी।

ग) सभी श्रेणियों के लिए, सब्सिडी दर (परियोजना लागत की) 15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%) है। सभी श्रेणियों के लिए लाभार्थी का अंशदान 10% होगा।

घ) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंक द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। आवेदक ऋण राशि का उपयोग अचल संपत्तियों अर्थात, भवन निर्माण/आवश्यक नई मशीनरियों की खरीद/मशीनरी की स्थापना आदि पर निवेश के लिए कर सकता है।

ङ) सावधि ऋण घटक (भवन/औद्योगिक शेड, मशीनरी और उपकरण आदि का निर्माण) के अंतर्गत, स्वयं के भवन का निर्माण को शामिल किया जा सकता है और निर्माण की सीमा आमतौर पर कुल स्वीकृत परियोजना लागत का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

च) निर्माण की लागत सहित पूंजीगत व्यय घटक को कुल परियोजना लागत का 60% तक होना चाहिए। कार्यशील पूंजी लागत 40% तक होगी। तथापी, वित्तपोषन बैंक परियोजना की प्रकृति के आधार पर ऋण की स्वीकृति के समय मानदंड तय कर सकता है।

4. लाभार्थियों के लिए पात्रता शर्तें:

i. पीएमईजीपी/मुद्रा स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित सभी मौजूदा इकाइयां जिनका मार्जिन मनी दावा समायोजित कर दिया गया हो और पहले लिए गए ऋण का निर्धारित समय में भुगतान कर दिया गया हो, लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

ii. इकाई विगत तीन वर्षों से लाभ कमा रही हो।

iii. लाभार्थी उसी वित्तपोषक बैंक को आवेदन कर सकता है जिसने पहला ऋण प्रदान किया हो, अथवा अन्य किसी बैंक को, जो दूसरे ऋण के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने को तैयार हो।

iv. उद्यम पंजीकरण का पंजीकरण अनिवार्य है।

v. दूसरा ऋण अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाला होना चाहिए।

5. कार्यान्वयन एजेंसियाँ :

क) यह स्कीम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा बनाई गई एक सांविधिक निकाय, केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो एक एकल राष्ट्र-स्तरीय नोडल एजेंसी होगी।

ख) राज्य स्तर पर, यह स्कीम केवीआईसी के राज्य निदेशकों, राज्य केवीआईबी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में, यह स्कीम केवल राज्य जिला उद्योग केंद्रों (एसडीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। केवीआईसी राज्य केवीआईबी, राज्य डीआईसी के साथ समन्वय करेगा और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इकाइयों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करेगा। केवीआईसी और डीआईसी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान में एनएसआईसी, एमएसएमई-डीआई, आरएसईटीआई, आरयूडीएसईटीआई, आईटीआई और अन्य समान संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल करेगा। कयर बोर्ड, कयर इकाइयों के उन्नयन, पथ-प्रदर्शन और मार्गदर्शन के लिए कयर इकाइयों की पहचान करने में शामिल होगा।

6. वित्तीय संस्थाएं:

क. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।

ख. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

ग. प्रधान सचिव (उद्योग/एमएसएमई)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कार्य बल समिति द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक।

घ. प्रधान सचिव (उद्योग/एमएसएमई)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कार्य बल समिति द्वारा अनुमोदित निजी अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

ङ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

7. लाभार्थियों की पहचान और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें :

i. देश भर से इकाइयों का चयन किया जाएगा।

ii. पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर, उन्नयन के लिए मौजूदा इकाइयों द्वारा आवेदन जमा करने के लिए एक अलग आवेदन लिंक प्रदान किया जाएगा।

iii. प्राथमिक जांच के बाद, राज्य/जिला-स्तरीय एजेंसियां (केवीआईसी/केवीआईसी/डीआईसी) आवेदन लाभार्थी द्वारा चयन किए गए बैंक को आवेदन अग्रेषित करेंगी। बैंकों को आवेदन की शिफारिश करने से पहले, राज्य/जिला-स्तरीय एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि आवेदन सभी संदर्भों में पूर्ण है और आवेदक ने दिशानिर्देशों में उल्लखित सभी मानदंडों को पूरा किया है। एजेंसियों को आवेदन की जांच 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी और यदि आवेदन सही पाया जाता है तो, आवेदन बैंकों को अग्रेषित करेगी। यदि आवेदन सही नही पाया जाता है तो, उस मामले में वह 15 दिनों के भीतर, कारणों सहित आवेदन को वापस कर सकती हैं।

iv. संबंधित बैंक 60 दिनों के भीतर परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन और प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा। ऋण जारी होने के बाद, बैंक पीएमईजीपी इकाइयों के लिए प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएमएस) का दावा करेगा। मार्जिन मनी सब्सिडी को 18 महीने के लिए सावधि जमा रसीद (टीडीआर) के रूप में रखा जाएगा। टीडीआर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और संवितरित ऋण की संबंधित राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। टीडीआर राशि, मशीनरी की स्थापना के बाद और कार्यान्वयन एजेंसी तथा बैंक के संयुक्त वास्तविक सत्यापन की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर बाद में ऋण खाते में समायोजित की जाएगी।

v. सभी हितधारकों द्वारा निगरानी के उद्देश्य से पीएमईजीपी ई-पोर्टल में वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त के लिए एक अलग एमआईएस प्रदान किया जाएगा।

vi. कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा इकाई का संयुक्त वास्तविक सत्यापन वर्ष में कम से कम दो बार किया जाएगा और संयुक्त वास्तविक सत्यापन का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केवीआईसी द्वारा सभी इकाइयों की जियो-टैगिंग की जाएगी।

vii. उन्नयन के दो वर्ष पूरे होने पर, स्वतंत्र एजेंसी को आउटसोर्स करके केवीआईसी द्वारा तृतीय पक्ष वास्तविक सत्यापन संचालित किया जाएगा।

viii. सीजीटीएमएसई कार्यक्षेत्र: लाभार्थी अपेक्षित सीजीटीएमएसई शुल्कों का भुगतान करके सीजीटीएमएसई स्कीम के अंतर्गत परियोजना को कवर करने का विकल्प चुन सकता है।

8. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:

I. बैंक द्वारा जारी पिछला 'ऋण स्वीकृति पत्र', 'पिछले ऋण के लिए समायोजित किए गए मार्जिन मनी दावों' का प्रमाण और 'पूर्ण ऋण भुगतान के लिए बैंक प्रमाणपत्र'।

II. इकाई के विस्तार/उन्नयन के लिए परियोजना रिपोर्ट।

III. पासपोर्ट के आकार की फोटो।

IV. विगत तीन वर्षों का आईटी रिटर्न।

V. विगत तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक खाते।

9. विविध:

स्कीम का मुख्य उद्देश्य अच्छा कार्य-निष्पादन करने वाली इकाइयों का उन्नयन करने में सहायता करना है। लाभार्थी इकाइयों की पात्रता, नकारात्मक सूची, बैंकों द्वारा मार्जिन मनी के दावों की प्रक्रिया और मौजूदा ई-पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सब्सिडी जारी करने और टीडीआर में सब्सिडी बनाए रखने से संबंधित अन्य बिन्दु, जो कि जारी मौजूदा पीएमईजीपी स्कीम में पहले से ही शामिल हैं वह दूसरी वित्तीय सहायता पर भी लागू होंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दूसरी वित्तीय सहायता केवल अच्छा कार्य-निष्पादन करने वाली पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों की मौजूदा/संबंधित गतिविधियों के विस्तार/उन्नयन पर भी लागू होगी।